–:: कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::–

/ / परिपत्र / /

क्रमांक...168/दो/08/01/2017 उज्जैन, दिनांक 15/12/ 2025

इस न्यायिक पदस्थापना पर पदस्थ उप प्रशासनिक अधिकारीगण के द्वारा पृथक–पृथक जांच कर जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात मेरे संज्ञान में आया हैं कि, जिला मुख्यालय उज्जैन एवं तहसील खाचरौद/नागदा/बडनगर/तराना तथा महिदपुर के नजारत अनुविभाग में पदस्थ नाजिर/नायब नाजिर द्वारा कोष एवं लेखा की एस0ओ0पी0 एवं परिपत्र दिनांक 21.12.2023 के अनुसार सीसीडी रजिस्टर का संधारण नहीं किया जा रहा है, जिससे सी0सी0डी0 के लेखाओं का महालेखाकार/कोषालय के लेखों से मिलान नहीं हो पाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जिला मुख्यालय उज्जैन एवं तहसील खाचरौद/नागदा/बडनगर/तराना तथा महिदपुर में पदस्थ नाजिर/नायब नाजिर कोष एवं लेखा की एस0ओ0पी0 एवं परिपत्र दिनांक 21.12.2023 के अनुसार सीसीडी रजिस्टर संधारित करें तथा उक्तानुसार संशोधित मासिक एवं वार्षिक पत्रक तैयार कर महालेखाकार ग्वालियर से अनुमोदित करवा कर जमा एवं भुगतान की गई राशि का मिलान किया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही सीसीडी के मासिक पत्रकों को कोषालय अधिकारी से कोषालय संहिता 2020 के नियम 377 के अनुसार प्रत्येक माह के प्रथम कार्यदिवस में सत्यापन कराया जाना भी सुनिश्चित करें एवं जो राशि सीसीडी खाते में तीन वर्ष पूर्ण होन पर लैप्स नहीं की गई है ऐसी राशि को डीडीओ के माध्यम से कोष एवं लेखा के पत्र क्र. डीटीए/आरटी 339/2023 दिनांक 29.05.2023 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार लैप्स किए जाने की कार्यवाही भी करें।

उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जावे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

15 DEC 2025

पृ. क्रमांक...11217.../दो/08/01/2017 उज्जैन, दिनांक /12/ 2025

प्रतिलिपि –

1. समस्त प्रभारी अधिकारीगण नजारत अनुविभाग उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

D:\SW\Dypt sir Tour Program\Shri Vishnu Prasad Tiwari DYO\Mahidpur